

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 63/2017- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. _____ (अ) .--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम के 45 उपनियम (3) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 53/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 28 अक्टूबर, 2017 जो भारत के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 1346(अ) तारीख 28 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, शब्दों, अंकों और अक्षरों "30 नवम्बर, 2017" के स्थान पर "31 दिसम्बर, 2017" के शब्दों, अंकों, और अक्षरों को रखा जायेगा।

[फ. सं. 349/58/2017-जीएसटी- (पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. 53/2017 - केन्द्रीय कर, तारीख 28 अक्टूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1346(अ) तारीख 28 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।